भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-4931 दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

••••

सीएसआर के अंतर्गत व्यय

4931. श्री दिलीप साईकिया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) विगत तीन वर्षों में असम सिहत उत्तर पूर्व राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ब्रहमपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड द्वारा सीएसआर के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई है;
- (ख) क्या मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का इस वित्तीय वर्ष में सीएसआर निधि के अंतर्गत विकास कार्य बढ़ाने का विचार है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क):

वर्ष 2014-15 और 2015-16 में परियोजना के चरण के दौरान, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के तहत एक पेट्रोकेमिकल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) द्वारा असम राज्य में सीएसआर पर क्रमशः 90,07,190/- रु. और 98,27,000/- रु. की राशि खर्च की गई। इस संयंत्र को चालू किए जाने के बाद जनवरी, 2016 के महीने में यह ऑपरेशन में आया। चूंकि कंपनी का कर पश्चात लाभ (पीएटी) नकारात्मक रहा है, इसलिए कंपनी ने 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान कोई सीएसआर परियोजना नहीं की।

तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान बीसीपीएल के बोर्ड की मंजूरी के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सद्भावना के रूप में असम में बीसीपीएल प्रतिष्ठानों में और उनके आसपास विभिन्न विकासात्मक पहल के लिए 52 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ख) और (ग):

- (i) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बीसीपीएल वर्ष 2019-20 में कोई सीएसआर पहल नहीं कर रहा है, क्योंकि पहली तिमाही के इसके कर पश्चात लाभ नकारात्मक थे।
- (ii) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन रासायनिक सार्वजनिक उपक्रम, अर्थात्, एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (एचआईएल), हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) और हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल; एचओसीएल की सहायक कंपनी) भी हैं।

हालांकि, एचआईएल एक लाभ कमाने वाली कंपनी है, लेकिन उसके लिए सीएसआर पर धनराशि खर्च करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी का नेटवर्थ/टर्नओवर/शुद्ध लाभ कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर मानदंड के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि, एचआईएल कंपनी की विनिर्माण इकाइयों के आसपास के क्षेत्र में सीएसआर से संबंधित गतिविधियों, जैसे घरों में पीने के पानी की आपूर्ति, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए पोशाक और किताबें/स्टेशनरी प्रदान करने, गांव के स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण आदि पर होने वाले व्यय का वहन कर रही है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भी कंपनी द्वारा इसी तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा।

चूंकि, एचएफएल घाटे में चल रही एक कंपनी है और पिछले 3 वर्षों के लिए इसका कर पूर्व औसत लाभ नकारात्मक (हानि) है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर फंड के लिए प्रावधान करना इसके लिए आवश्यक नहीं है। हालांकि, समाज कल्याण वाली गतिविधियों के लिए कंपनी विद्या स्वयंसेवकों (शिक्षकों) को स्कूलों में प्रायोजित कर रही है और इसने संयंत्र स्थल के पास के गाँवों में शौचालयों का निर्माण किया है।

एचओसीएल, वर्ष 2011-12 से लगातार घाटे में चल रही है और कंपनी के पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद इसने केवल वर्ष 2018-19 में लाभ कमाया है। चूंकि कंपनी के पिछले 3 वर्षों के कर पूर्व औसत लाभ नकारात्मक (हानि) हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इसके लिए सीएसआर निधियों के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, कंपनी द्वारा सीएसआर निधियों के तहत कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है।

(iii) उर्वरक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान प्रस्तावित सीएसआर निधि के आवंटन की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान वास्तविक सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम | 2018-19 | 2019-20 |
|---------|---|---------|---------|
| 1. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 228.80 | 750.00 |
| 2. | राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 387.59 | 323.00 |
| 3. | एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया | 75.14 | 113.60 |
| | लिमिटेड | | |
| 4. | प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड | 4.30 | 14.98 |

(iv) औषध विभाग के अधीन, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) भारत सरकार और कर्नाटक सरकार की संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, जिसमें भारत सरकार की 59.17% और कर्नाटक स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉपॉरेशन (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार की 40.83% शेयरधारिता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी सीएसआर गतिविधियों को अंजाम देती है और सीएसआर फंड का बजट कंपनी के पिछले तीन वर्षों के लाभ पर निर्भर करता है। वर्ष 2018-19 के लिए, इसका सीएसआर बजट 66 लाख रुपये का था, जिसमें से एवज में कंपनी ने 63 लाख रु. खर्च किया है। वर्ष 2019-20 के लिए, इसका सीएसआर बजट 63.68 लाख रु. का है। बोर्ड से निधि की मंजूरी मिल गई है और सीएसआर बजट खर्च करने के लिए कार्रवाई की गई है।
